

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिष्ठा होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु राहगति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी राहगति जास्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि स्वरूप की रांजा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर राहगति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
		3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खरारा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खरारा संख्या	रकबा
लेमह अ.उ. 2	31	कुबडा जागिड कुत्र	149	०.०८	कुबडा जागिड	149	०.०८
		रामेश्वर लामेहाई	150	०.०८	कुत्रा रामेश्वर लामेहाई	150	०.०८
		जागिड सा. डेह	151	1.60	जागिड जागिड	151	1.60
		कालेदार	158	5.05	सा. डेह कालेदार	158	5.05
		शेख अहमद	64	6.81	शेख अहमद	64	6.81

क्रमांक :-

874
12.11.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभासी
शिविर प्रभासी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडकाना)
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का

पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर